अनुसूची–14 फर्म सं0–563

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

५

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,गुमला

सुषमा नीलम सोरेंग,

विविध वाद संख्या – 15 / 2019–20

मो0 एकबाल वगैरह .... अपीलार्थीगण

बनाम

झारखंड सरकार .... प्रतिवादी

आदेश

अंचल अधिकारी, गुमला के अपने पत्रांक – 663 दिनांक – 09.07.2019 द्वारा मो0 एकबाल, मो0 एकराम एवं मो0 असलम के आवेदन के आलोक में विविध वाद संख्या – 50 / 2019 प्रारम्भ किया गया तथा मूल रूप में अभिलेख अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक की कायमी भूमि पंजी – II में प्रविष्ट फटे होने के कारण पंजी – II में नहीं मिल रहा है। अतः पंजी – II में नाम दर्ज किये जाने से संबंधित है।

भूमि का विवरण

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा
पोकमा	49	496	0.18 एकड़
		497	0.61 एकड़
		498	0.49 एकड़
		कुल रकबा	**1.28 एकड़**

(5)

अंचल अधिकारी, गुमला से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि कायम जमाबंदी रजिस्टर का पन्ना फट गया है। राजस्व कर्मचारी द्वारा आवेदकगण के आवेदनानुसार नया पन्ना आवंटित कर पंजी – II में नाम दर्ज करने हेतु अनुमति की मांग की गई है।

सरकारी अधिवक्ता से मंतव्य की मांग की गई, मंतव्य प्राप्त।

सरकारी अधिवक्ता का मंतव्यः–

1. वादग्रस्त भूमि का आर0एस0 खाता नं0 – 49, प्लॉट नं0 – 496, 497 एवं 498, रकबा क्रमशः 0.18, 0.61 एवं 0.49 एकड़ कुल रकबा – 1.28 एकड़ (एक एकड़ अठाईस डिसमिल) वाके मौजा – पोकमा, थाना – गुमला, थाना नं0 – 25, जिला – गुमला है।
2. आवेदकगण का कहना है कि वादग्रस्त भूमि आर0एस0 खतियान में उनके दादा शेख रहीम, वल्द शेख मुलहन के नाम से दर्ज है। किन्तु पंजी – II फट जाने के कारण पंजी – II में नहीं मिल रहा है। अतः पंजी – II में नाम दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।
3. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त जमीन का पंजी – II का पन्ना फट जाने के कारण पंजी – II में नहीं मिल रहा है। स्थल जाँच में ग्रामीणों ने बताया कि वादग्रस्त जमीन पर आवेदकगण का दखल–कब्जा है। सन् 1960–61 में निर्गत लगान रसीद नम्बर 674838 में मौजा – पोकमा थाना – संख्या – 25, रैयत शेख रहीम मियाँ, खाता नं0 – 49, कुल रकबा – 1.28 एकड़ दर्ज है। अतः वादग्रस्त भूमि को शेख रहीम मियाँ का नाम पंजी – II में दर्ज किया जा सकता है। अंचल अधिकारी, गुमला द्वारा पंजी – II में नाम दर्ज करने हेतु अनुमोदन प्राप्त

(6)

करने के लिए हुजूर के न्यायालय में अभिलेख अग्रसारित किया गया है।

अतः आवेदकगण का आवेदन अंचल अधिकारी, गुमला का जाँच प्रतिवेदन एवं वादग्रस्त भूमि से संबंधित कागजातों को देखने के पश्चात् मेरा मंतव्य है कि शेख रहीम मियाँ का नाम पंजी – II में दर्ज करने का अनुमति दिया जा सकता है।

निष्कर्ष :– उपरोक्त परिस्थिति में सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में प्रश्नगत मामलें पर नियमानुकुल प्रारम्भ किया गया वाद पर नियामानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अभिलेख वापस किया जाता है।

लेखापित

13/3/2010

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।

13/3/2010

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।